न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

ब इजलास – अनिल कुमार जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 365/2016 रेवेन्यु दायर दिनांक 05/09/2016

निर्णय दिनांक 29/07/2021

अरजन पिता वालजी पारगी मीणा उम्र 60 साल निवासी थामका तलाब फला माली प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– वादी

बनाम

1. श्री ग्राम पंचायत बांसीया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
2. श्री सत्यपाल रोत पिता जसवंत रोत मीणा निवासी बांसीया सरपंच ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री सचिव , ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निशेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये ग्राम पंचायत बांसीया एवं वादी के खाते की आराजी सीमा तय किये जाने हस्ब दफा 188/209 रा.टी.एक्ट एवं 136 ले.रे.एक्ट

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 की ओर से – श्री बालगोविन्द पाटीदार

प्रतिवादी नं. 4 की ओर से – पेरोकार सरकार

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि मोजा बांसीया में वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी खतोनी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 7 के खसरा नम्बर 3109/1638 रकबा 10) दस बीघा सुखी तृतीय लगानी 5–00 रूपया स्थित है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता हुआ आ रहा है ।

मोजा थामकातलाब ग्राम पंचायत बांसीया में ही स्थित था लेकिन पंचायतों का पुनर्गठन होने के पश्चात् थामका तलाब गांव ग्राम पंचायत मेवडा के अन्तर्गत गठित हुवा है लेकिन खतोनी में आराजी मौजा बांसीया प.ह. बांसीया भू अभिलेख क्षेत्र बांसीया में ही स्थित है ।

वादी का गांव ग्राम पंचायत मेवडा में चला जाने से प्रतिवादी नं. 1 से 3 वादी के खाते की आराजी को भी बांसीया की मानकर विवाद पैदा करते हुए प्रतिवादी नं. 1 से 3

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

ने एक बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित करवाई हुई होना कह कर वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी में प्रवेश होकर विवाद पैदा करने लगे एवं दिनांक 07/01/2016 को दिनेश का मकान विध्वंश करते हुए अन्य मकान जो कि खाते पर इन्द्रावास के बने हुए को विध्वंश करने एवं वादी को बेदखल करने एवं जमीन छोड कर चले जाने की धमकियां देने से वाद कारण पैदा होने से वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

कि वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया जिस पर उनके द्वारा दिनांक 29/09/2016 को अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहा ।

कि पत्रावली जवाब में चलते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई लेकिन मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से पत्रावली पुनः जवाब प्रतिवादी के नियत की गई लेकिन कई बार जवाब हेतु अवसर दिए गए , कोष्ट पर भी अवसर दिया गया एवं उसके पश्चात् भी कई बार जवाब पेश करने अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने से दिनांक 30/09/2019 को प्रतिवादीगण के जवाबदावा प्रस्तुत होने की स्टेज बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत की गई ।

प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से पत्रावली पर किसी प्रकार से तनकीयात कायम नहीं होकर साक्ष्य वादी में पत्रावली नियत की जाने से वादी की ओर से वादी स्वयं का एवं गवाह रामजी एवं तुलसीराम का साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये गये एवं अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी खेवत/खतोनी की प्रति प्रदर्श – 1 , नक्षा ट्रेस प्रदर्श 2 , खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 , नोटिस ग्राम पंचायत प्रतिवादी नं. 1 से 3 को दिये गये की प्रति प्रदर्श 4 एवं पोस्टल रसीदें प्रस्तुत की । वादी से एवं उसके गवाहान से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण कर लिए जाने से वादी की ओर से साक्ष्य समाप्त कर दिये जाने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी के लिए 25/02/2021 को नियत की गई ।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाने से प्रतिवादीगण के साक्ष्य की स्टेज समाप्त की जाकर बहस पक्षकार अधिवक्तागण सुनी गई ।

वकुलाए फरीकैन की बहस समाअत के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया । दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खतोनी प्रदर्श 1 में वादी खातेदार काश्तकार है एवं प्रदर्श 2 नक्षा ट्रेस खतोनी में अंकित आराजी का होकर प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी के अनुसार वादी का कब्जा काश्त होकर काश्त होना साबित है ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

कि प्रतिवादी नं. 1 से 3 ग्राम पंचायत होने से ग्राम पंचायत कानून के तहत उसे ग्राम पंचायत अधिनियम 209 के तहत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नियत समय से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होने से वादी की ओर से 13/01/2016 को टाईप शुदा नोटिस 15/01/2016 को दिया गया है जिसकी पोस्टल रसीदे प्रस्तुत हुई है एवं नोटिस देने के 60 दिन पश्चात् दिनांक 17/08/2016 को न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है ।

वादी अपने वाद को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य जो कि प्रदर्श 1 से 4 प्रस्तुत हुए हैं उसके आधार पर एवं मोखिक साक्ष्य पीडब्ल्यु 1 से 3 के बयान लिपि बद्व करवाए जाने से वाद को साबित करनवाने में सफल रहा होने से वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के निर्णित / डिक्री किया जाने योग्य होने से बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित/डिक्री किया जाता है

कियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि मोजा बांसीया में स्थित खतोनी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 7 के खसरा नम्बर 3109/1638 रकबा 10) दस बीघा सुखी तृतीय लगानी 5–00 रूपया जो कि वादी के खाते कब्जे काश्त का है के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि , कर्मचारी उपरोक्त खाते की आराजी की सीमाऐं लांघ कर अन्दर प्रवेश न होवे , वादी के चले आ रहे शान्ति पूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, उपरोक्त खसरा नम्बर की सीमाओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहूँचावे, वादी के खाते की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें , खाते में किये हुए निर्माण को विध्वंश नहीं करें और न ही एसा कृत्य करें जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की क्षति पहूँचे एसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी अधिनस्थ कर्मचारी, मजदुर, ठेकेदार आदि से ही करावें । नियमानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे ।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाडा

ब इजलास – **अनिल कुमार जैन** – आर ए एस

अरजन पिता बालजी पारगी मीणा उम्र 60 साल निवासी थामका तलाब फला माली प.ह. बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– वादी

बनाम

1. श्री ग्राम पंचायत बांसीया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
2. श्री सत्यपाल रोत पिता जसवंत रोत मीणा निवासी बांसीया सरपंच ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री सचिव , ग्राम पंचायत बांसीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निशेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये ग्राम पंचायत बांसीया एवं वादी के खाते की आराजी सीमा तय किये जाने हस्ब दफा 188/209 रा.टी.एक्ट एवं 136 ले.रे.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 की ओर से – श्री बालगोविन्द पाटीदार

प्रतिवादी नं. 4 की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रकरण संख्या 365/2016 रेवेन्यु

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अनिल कुमार जैन आर ए एस** ब हाजरी श्री अल्लहनूर मन्सूरी,एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई/वादी व श्री बालगोविन्द पाटीदार एडवोकेट जानिब मुद्दायलाह नं. 1 से 3 एवं मुद्दायलाह संख्या 4 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि मोजा बांसीया में स्थित खतोनी संवत 2070 से 2073 के खाता नं. 7 के खसरा नम्बर 3109/1638 रकबा 10) दस बीघा सुखी तृतीय लगानी 5–00 रूपया जो कि वादी के खाते कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

का है के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि , कर्मचारी उपरोक्त खाते की आराजी की सीमाऐं लांघ कर अन्दर प्रवेश न होवे , वादी के चले आ रहे शान्ति पूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, उपरोक्त खसरा नम्बर की सीमाओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहूँचावे, वादी के खाते की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें , खाते में किये हुए निर्माण को विध्वंश नहीं करें और न ही एसा कृत्य करें जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की क्षति पहूँचे एसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी अधिनस्थ कर्मचारी, मजदुर, ठेकेदार आदि से ही करावें । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे ।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार जैन)

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

मुददई	रूपया/पैसा	मुददायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा